

## क्यर बोर्ड Coir Board

(सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME. Govt. of India) क्यर हाउस, एम. जी.गेड., कोच्ची - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

नार | Gram : COIR BOARD

दुरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788 फेक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मल E-mail coir@md2 vsnl net in

वेदा / Web www.coirboard.nic in www.coirboard.gov.in

ए-46/1/2016-प्रशा(का)

21.09.2017

## परिपत्र

विषयः सेवा मामलों पर सरकारी कर्मचारी से अभ्यावेदन - निर्देशों की पुनरावृत्ति - सं. सन्दर्भः इस कार्यालय का परिपंत्र सं.ए-22020/7/2015-प्रशा(का) दि. 07.01.2016

कृपया स्मरण करें कि बोर्ड ने पूर्व में विभिन्न सेवा मामलों पर स्टाफ सदस्यों की शिकायतों को सुलझाने से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में विभिन्न अवसरों पर निर्देश जारी किए थे, अंत में जारी परिपत्र सं.ए-22020/7/2015-प्रशा(का) दि. 07.01.2016 हैं । इसके बावजूद, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में यह आया है कि संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत किनिष्ठ अधिकारी उनके विभिन्न सेवा मामलों पर सीधे सचिव (एमएसएमई) को लिखते हैं । इसे मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है ।

विभिन्न परिपत्रों में यह उल्लिखित है कि जब भी, सेवा के अधिकारों या शर्तों से जुड़े किसी भी मामले में, यदि सरकारी कर्मचारी दावा करने या शिकायतों को सुलझाना चाहते हैं तो, कार्रवाई का उचित तरीका अपने आसन्न आधिकारिक पर्यवेक्षक, या अपने कार्यालय प्रमुख, या निचले स्तर पर इस तरह के अन्य प्राधिकारी से बात करना है जो इस मामले का निपटन करने में सक्षम है। फिर भी, हाल में मंत्रालय द्वारा यह देखा और रिपोर्ट किया गया है कि विभिन्न संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न स्तरों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, प्रस्तुतीकरण की निर्धारित चैनल की उपेक्षा करते हुए सीधे उच्च पदधारियों को लिखते हैं।

जैसे, यह एक बार फिर से दोहराया जाता है कि निर्धारित सम्प्रेषण चैनल की उपेक्षा करते हुए उच्च पदधारियों को सीधे प्रस्तुतीकरण पेश करने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा और इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

O. Hillia

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा मेः

सभी संबंधित



## कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt, of India) कवा हाउम, एम. जी गेंड., कोच्ची - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार / Gram : COIR BOARD

वूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैल्म / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मेल/ E-mail : coir@md2.ysnl.net.in

वेब/ Web: www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

A-46/1/2016-ADM(P)

21.09.2017

## **CIRCULAR**

Sub: Representation from Government servant on service matters- reiteration of instructions-reg.

Ref: This Office Circular No. A-22020/7/2015-Adm(P) dated.07.01:2016.

It may be recalled that the Board had issued directions on different occasions in the past, regarding the methodology for getting the grievances of Staff members on various service matters redressed; the last one being vide Circular No.A-22020/7/2015-Adm(P) dated 07.01.2016. In spite of this, it has been observed by the Ministry of MSME, Government of India that junior officers working in the field offices of Attached/Subordinate Offices are writing directly to Secretary(MSME) on their various service matters. This has been viewed very seriously by the Ministry.

It has been envisaged in various Circulars that whenever, in any matter connected with the service rights or conditions, a Government servant wishes to press a claim or seek redressal of a grievance, the proper course of action is to address his/her immediate official supervisor, or the Head of his office, or such other authority at the lower level as is competent to deal with the matter. However, of late, it is observed and reported by the Ministry of MSME, that there has been a tendency on the part of Officers/Staff Members in different levels in different Attached/Subordinate Offices, to by-pass the prescribed channels of representation and write directly to the high functionaries totally ignoring the prescribed channels.

As such, it is hereby once again reiterated that submission of representations directly to higher authorities by-passing the prescribed channel of communications will be viewed very seriously and appropriate disciplinary action taken against those who violate the above instructions invoking relevant provisions in the Conduct Rules.

This issues with the approval of Competent Authority.

ADMINISTRATIVE OFFICER

To

All Concerned.